

कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानासिंह चिकित्सा महाविद्यालय
एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर

क्रमांक: 12054/एफ/एमसी/ईजी/2021

दिनांक: 16/6/2021

कार्यालय आदेश

चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्टता में सीनियर रेजीडेंट के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश जारी होने तक के लिए पूर्णतया अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	नाम व पता सीनियर रेजीडेंट	विशिष्टता	जन्मतिथि
1.	डा० प्रजा शर्मा पुत्री डा० महेश चन्द शर्मा 9/973, मालवीय नगर, जयपुर	स्त्री एवं प्रसुति रोग	16.10.1984
2.	डा० रजनी नवल पत्नि श्री निखिल तावल 102, प्लॉट नं. 373, तुलसी निवास आदर्श नगर, जयपुर	स्त्री एवं प्रसुति रोग	04.12.1993
3.	डा० आकाश शर्मा पत्नि श्री विजय शंकर शर्मा 380 पार्ट-बी सूर्य नगर गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	स्त्री एवं प्रसुति रोग	28.09.1988
4.	डा० नीलम पत्नि श्री नगेन्द्र धालौड 4/277, हाउसिंग बोर्ड, झुंझुं राज०	स्त्री एवं प्रसुति रोग	20.04.1986
5.	डा० अभित कुमार जोशी पुत्र श्री राजकुमार जोशी 249 बगला किशनपुरा तह-चौमू, जयपुर	स्त्री एवं प्रसुति रोग	06.11.1987
6.	डा० सरिता अग्रवाल पत्नि डा० आशिष गुप्ता 68/248 प्रताप नगर सेक्टर-6 हल्दीघाटी गेट, जयपुर	स्त्री एवं प्रसुति रोग	25.09.1986
7.	डा० सोनिया गोस्वामी पुत्री श्री जगदीश प्रसाद गोस्वामी एमजीएम केम्पस सितापुरा रूम नं. 13 टाईप IV-A हॉस्टल, जयपुर	स्त्री एवं प्रसुति रोग	30.10.1990
8.	डा० मनीषा पुत्री श्री अशोक कुमार प्लॉट नं. 202, डी-289 सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर, जयपुर	स्त्री एवं प्रसुति रोग	18.04.1991
9.	डा० दिव्या गुप्ता पत्नि डा० सोम गुप्ता 55/149 रजत पथ मानसरोवर, जयपुर	माइक्रोबायोलोजी	16.01.1992
10.	डा० सुमन मीणा पत्नि श्री रामहेत मीणा एम-99, महेश कॉलोनी, टॉक फाटक, जयपुर	माइक्रोबायोलोजी	29.05.1987

उपरोक्त सीनियर रेजीडेंटों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से स्टार्टअप रू. 71,500/- एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।

यह नियुक्ति उक्त चिकित्सकों के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यक्षीन होगी। उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे (यदि कोई अभ्यर्थी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड है तो उसे उपस्थिति के 15 दिवस के भीतर राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा उसके हक में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)। राजकीय सेवारत अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। विगत में कार्यरत रहने की संस्था से त्याग पत्र स्वीकारोक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थी यदि हड़ताल अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवाये बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी। इस आशय का निर्धारित शपथ पत्र 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ-साथ आपाताकालीन सेवाये भी देनी होंगी। इन्हें नियमानुसार 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपनी उपस्थिति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति समय समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्यक्षीन होगी। महिला अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेंट्स अवधि में प्रसूति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम एक बार प्रसूति अवकाश देय होगा। न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर सीनियर रेजीडेंट के पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टार्टअप राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

यह आदेश राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.18(3)एम.ई/गुप-1/2006 दिनांक 01.07.2006 क्रमांक प.6(11)एम.ई/गुप-1/09 दिनांक 18.08.09 क्रमांक प.16(1)एम.ई/गुप-1/2005 पार्ट-11 दिनांक 25.08.09 क्रमांक प.18(13)एम.ई/गुप-1/06 दिनांक 14.09.09 एवं क्र. प.18(19)एम.ई/गुप-1/08 दिनांक 25.01.10 द्वारा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

नोट- उक्त चिकित्सक प्रथमतः अपनी उपस्थिति प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज जयपुर को प्रस्तुत करेंगे।

क्रमांक: 12054/एफ/एमसी/ईजी/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
- संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
- संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष।
- नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट।
- संबंधित चिकित्सक द्वारा रजिस्टर्ड डाक।
- लेखाशाखा मय अतिरिक्त प्रतिलिपि।
- निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/कॉलेज नोटिस बोर्ड।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
दिनांक: 16/6/2021

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक